कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 2219 / 12-1 देहरादूनः दिनांकः 27– अप्रैल, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 53193/2020)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 8बी/यू0सी0पी0/06/55/2022/एफ0सी0/1083 दिनांक 21.11.2023।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 21.11.2023 के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड़, अल्मोड़ा के पत्रांक 2650/12–1(2) दिनांक 01.04.2024 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं0	आपत्ति	निराकरण
01	In view of the point No.2 of the EDS, the justification of the proposed road is still not clear. The details inspection report showing location of the beneficiary population of Batuliya (32 families) and Dalmoti (46 families is required to be snbmitted. Further , the distance of these beneficiary families from the existing road is also required to be mentioned. It id also requested to be ensured that the report should be elaborated in a way that each and every reason should accompanied with corresponding facts and figures.	
	In the geo-referenced map, the existing roads of Kalika-Dalmoti MR and tanwari- Baisolti MR are available at both the ends of the proposed road. In view of the fact proposed road. In view of the fact the purpose of the proposed alignment is not clear because there is no habitaion in between these two ends. The concerned DFO is requested to visit the site and comment on the requirement of the proposed road.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम भैसोली, टनवाणी भैसोली मोटर मार्ग से एवं ग्राम दलमोटी, कालिका दलमोटी मोटर मार्ग से जुड़ चुके है। किन्तु वर्तमान में ग्राम बटुली के 32 परिवार की 109 जनसंख्या मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित हैं। जिसके कारण उन्हें उक्त दोनों मोटर मार्गो तक पहुँचने हेतु लगभग 4 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से भैंसोली एवं बटुलिया के निवासियों को कालिका दलमोटी होते हुये रानीखेत जाने के लिये न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। वर्तमान में भैसोली एव बटुलिया के निवासियों को रानीखेत जाने के लिये टनवाणी भैसोली मोटर मार्ग से होते हुये द्वारसो काकड़ीघाट मोटर मार्ग से द्वारसों जाकर फिर रानीखेत जाने में 25 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग के वन जाने से यह दूरी मात्र 10 कि0मी0 रह जायेगी जिससे ग्रामवासियों को बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धित आवश्कताओं के लिए एक सुलभ मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि अत्यन्त लाभप्रद होगा। मोटर मार्ग का

		अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक 08.08.2023 को स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि ग्राम बदुली के 32 परिवार वर्तमान तक मोटर मार्ग की सुविधा से वास्तविक रूप से नहीं जुड़ पाये हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण होने से लाभान्वित होने वाले ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा व अन्य आवश्यक कार्यों हेतु रानीखेत मुख्य बाजार की दूरी भी कम हो जायेगी।
02	The reply to the point No. 3 and 4 is not acceptable. In view of point 3 and 4 of the EDS, all the facts supported with all possible technical details is required to be submitted.	
	It is seen that, the bridal path is available all along the proposed alignment which is not being examined as an alternate alignment. The State Govt. Is requested to submit the examination report/comment on the same.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु वह मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण के उचित प्रतीत नहीं होता है। वैकल्पिक मार्ग की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की गई है।
	The State Govt.is requested to find out the width of the existing bridle path. It's seen that, in the initial half portion the proposed road is almost parallel to the existing path and if required, the same may be widened instead of constructing a new road.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु वह मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण के उचित प्रतीत नहीं होता है।
03	In reply to point No. 5, a separate enumetation list of tree for forest area designated to muck dumping has not been submitted which is required to be provided.	
	The state govt is requested to submit the propose tree enumeration list for 7m width. Further, tree enumeration for the area porposed for muck dumping shall also be submitted separetely.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की 7 मीटर चौड़ाई में गणना सूची एवं मलवा निस्तारण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 50 में अपलोड की गई है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 3217 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।